**भारत सरकार**
**कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 679**
**उत्तर देने की तारीख 06 फरवरी, 2023**
**सोमवार, 17 माघ, 1944 (शक)**

**व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण का उन्नयन**

**679. डॉ. थोल तिरुमावलवन:**

**क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार के पास अपने देश में दक्ष श्रमबल की आवश्यकता संबंधी ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दक्षता उन्नयन के लिए कोई व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन परीक्षणों से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या क्या है?

**उत्तर**
**कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री**
**(श्री राजीव चंद्रशेखर)**

(क) और (ख) राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 के अनुसार, वर्ष 2014-15 में कार्यबल में बिना किसी औपचारिक कौशल के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या और जिसके लिए कौशल, पुनर्कौशल और कौशल उन्नयन की आवश्यकता है, 298.25 मिलियन थी और अनुमानित संख्या वर्ष 2015-22 के बीच कौशल की आवश्यकता वाले कार्यबल में नए प्रवेशकर्ताओं की संख्या प्रति वर्ष 14.95 मिलियन थी। इसके अलावा, सरकार ने भारत में विभिन्न राज्यों के लिए जिला-स्तरीय कौशल अंतर अध्ययन आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से एक्सेंचर, केपीएमजी, और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) सहित विभिन्न संगठनों राज्य-वार अध्ययन का समग्र उद्देश्य संबंधित राज्यों में संख्या तथा आवश्यक कौशल और क्षमता दोनों के संदर्भ में जिला-स्तरीय कौशल अंतराल का आकलन करना था। ये अध्ययन आवश्यक कौशल और राज्य के जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में कौशल अंतराल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जो राज्यों के भीतर कौशल आवश्यकताओं और अवसरों को समझने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, जिला कौशल समितियां (डीएससी), संबंधित राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के मार्गदर्शन में, कौशल की कमी को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों सहित जिला स्तर पर मांग का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डीएससी को बुनियादी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) के विकास का काम सौंपा गया है। डीएसडीपी उन क्षेत्रों की पहचान करता है जिनमें रोजगार के अवसर और कौशल की मांग मौजूद है।

(ग) और (घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), कुशल भारत मिशन के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत देश भर के युवाओं को कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन स्कीमों के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

| **क्र.सं.** | **स्कीम** | **प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | पीएमकेवीवाई (वित्त-वर्ष 2015-16 से दिसंबर 2022 तक) | 137.24 लाख |
| 2 | जेएसएस (वित्त-वर्ष 2018-19 से दिसंबर 2022 तक) | 15.74 लाख |
| 3 | एनएपीएस (वित्त-वर्ष 2018-19 से दिसंबर 2022 तक) | 18.73 लाख |
| 4 | सीटीएस (वर्ष 2015 से वर्ष 2021 तक) | 88.41 लाख |

*******